फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

राजेन्द्र सिंह भाटी –बनाम– स्टेट

किस्म मुकदमा : अपील सं. 01/2025 अन्तर्गत धारा–154(3) पेट्रोलियम अधिनियम 2002 (जीसीएमएस संख्या: 2025/5)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह अपील जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा रिडमलसर शहर कजनी के खसरा नंबर 248/240 अनवान मनोज कुमार ओसारी पुत्र श्री बाबूलाल ओसारी की भूमि पर एच.पी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना बाबत् जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने पेट्रोलियम नियम 2002 के तहत खुलेआम विधि विरूद्ध कृत्य कारित करते हुए एवं नवीन रिटेल आउटलेटों के स्थापना पूर्णतया डी–डूप्लीकेशन, फिजिब्लिटी रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान व अन्य में पारित आदेशों की अवमानना एवं वर्तमान में नवीन रिटेल आउटलेटों की स्थापना के संबंध में प्रचलित नियमों, प्रावधानों एवं दिशा निदेशों का पूर्णतया उल्लंघन कर जिला कलक्टर बीकानेर ने रिटेल आउटलेट संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण नियमों एवं प्रावधानों को ताक पर रखते हुए व्यकित विशेष को फायदा पहुंचाने एवं राजनीतिक प्रभाव के चलते उक्त रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया, जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः उक्त विधि विरूद्ध जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त करवाकर अनुगृहित करवायें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने रिडमलसर शहर कजनी के खसरा नंबर 248/240 अनवान मनोज कुमार ओसारी पुत्र श्री बाबूलाल ओसारी की भूमि पर एच.पी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना बाबत् जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रकरण के संबंधित सभी विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही नियमानुसार एनओसी जारी की गई हैं। उक्त प्रकरण डी–डुप्लिकेशन श्रेणी में नही आता है। उक्त पेट्रोल पंप की भूमि के उपर से बिजली की लाईन नहीं हैं और आस–पास कोई जलस्त्रोत नहीं है। कोई इन्टरसेक्शन उक्त प्रकरण में हाइवे रोड़ से 1.60 कि.मी दूर है, निकटतम इंटरसेक्शन की की स्थिति डामर से डामर रोड़ पर रिडमलसर गांव को जाने वाली सडके से भी माना जाये तो 170 मीटर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार शहर क्षेत्र में इस प्रकार में इन्टरसेक्शन की दूरी 100 मीटर से अधिक दर्शायी है। उक्त वादगत भूमि आबादी क्षेत्र 30 मीटर दूर है। दो पेट्रोल पंप के बीच की दूरी तीन कि.मी है। उक्त रिटेल आउटलेट अग्निशामक वाहन की पहुंच में है। अतः अपील अपीलांट खारिज की	

जावें।

हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा रिडमलसर शहर कजनी के खसरा नंबर 248/240 अनवान मनोज कुमार ओसारी पुत्र श्री बाबूलाल ओसारी की भूमि पर एच.पी. कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना बाबत् अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 10.10.2024 जारी किया गया, जिसके विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत हुई है। अपील अपीलांट ने अपील प्रस्तुति में अपीलाधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदेश दिनांक 10.10.2024 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत ही नहीं की। साथ ही मनोज कुमार ओसारी पुत्र श्री बाबूलाल ओसारी के पक्ष में पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया। उनको उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने पर भी अपील में पक्षकार नही बनाया गया है। जो नियमों के विपरित है। अतः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर अपीलाधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदेश दिनांक 10.10.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट तकनीकी रूप से इस आधार पर खारिज की जाती है कि अपीलांट ना ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की और ना ही हितबद्ध पक्षकार को अपील में पक्षकार बनाया गया है।

तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर